






दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभियुक्ति
8.12.19	<p>इस वाद में पक्षकारों द्वारा सूचित किया गया है कि इनमें आपस में समझौता हो गया है एवं किसी प्रकार के अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अंतिम निष्पादन हेतु अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत भेजें।</p> <p style="text-align: center;">  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका। </p>	
9.12.19	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी ...<u>...</u> से प्राप्त प्रतिवेदन/आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी। वाद में पक्षकारों में समझौता एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="319 976 506 1186">  सदस्य- 1 लो0अ0, गढ़वा </div> <div data-bbox="597 976 793 1186">  सदस्य- 2 लो0अ0, गढ़वा </div> <div data-bbox="967 966 1171 1186">  सदस्य- 3 लो0अ0, गढ़वा </div> </p> <p style="text-align: center;">  </p>	